

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: एफ.19 ( )कार्मिक-राज/प्रमुवसं/238-388 दिनांक 17/1/19

निमित्त,

समस्त राज्य वन सेवा के अधिकारीगण,

विषय:-समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन स्वयं द्वारा भरने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संयुक्त शासन सचिव कार्मिक (क-1, गो.प्र.) विभाग, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र प.13 (76) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 31.12.2018 बाबत समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन स्वयं द्वारा भरने के सम्बन्ध में जारी परिपत्र की प्रति इस पत्र के साथ सूचनार्थ एवं पालनार्थ संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

60

(दीपक भटनागर)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
(प्रशासन)

राजस्थान, जयपुर।

दिनांक 17-1-19

क्रमांक: एफ.19 ( )कार्मिक-राज/प्रमुवसं/ 389

प्रभारी कम्प्यूटर सेल को परिपत्र की प्रति विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

कुशीला

(कुमार स्वामी गुप्ता)

उप वन संरक्षक (संस्थापन),

जयपुर

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक प. 13(76) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011

जयपुर, दिनांक: 31 DEC 2018

--:परिपत्र:-

विषय:- समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन स्वयं द्वारा भरने के सम्बन्ध में।

राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष 01 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी तक भरे जाने का प्रावधान है।

अतः सभी प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों को निम्नांकित बिन्दुओं के अनुसार व्यादिष्ट किया जाता है कि इस संबंध में आपके विभाग में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों को इन बिन्दुओं की पालना करने हेतु सुनिश्चित करावे:-

1. राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रति वर्ष 01 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन स्वयं अधिकारी द्वारा पूर्ति कराई जाती है।
2. प्रशासनिक विभागों द्वारा यह निर्देशित किया जावे कि उनके अधीन समस्त अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय में अपना अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर पूर्ति करने का निर्देश प्रदान करें। वर्ष 2018 से टंकित/हस्तलिखित अचल सम्पत्ति विवरण स्वीकार योग्य नहीं है।
3. जो अधिकारी अपना अचल सम्पत्ति विवरण की सूचना प्रस्तुत नहीं करेंगे, कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13(76)का./क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 14.04.2011 के तहत प्रशासनिक विभाग द्वारा उनको विजीलेस क्लीयरेंस नहीं दी जावेगी एवं पदोन्नति व वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जावेगा। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्ड, निगम स्वायत्तशासी संस्थाओं उपक्रमों पर भी लागू है।
4. सभी अधिकारियों द्वारा वर्ष 2018 (01 जनवरी 2019 की स्थिति में) अपना अचल सम्पत्ति विवरण व उसके पश्चातवर्ती वर्षों का अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है।
5. अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE में भरने की समय सीमा 31 जनवरी है, 31 जनवरी पश्चात IPR MODULE पर अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भरे जायेंगे।

175  
7/11/19

का.प्र.क-अ.ज.  
7-1-19  
बा.स.

Sharma

प्रक्रिया

किसी भी अधिकारी को राजकाज के माध्यम से Immovable Property Return (IPR) भरने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य (Mandatory) है:-

प्रक्रिया	समाधान
अधिकारी SSO Portal पर रजिस्टर होना चाहिये।	यदि अधिकारी SSO Portal पर रजिस्टर नहीं है तो पहले वह SSO Portal पर रजिस्टर करें। यदि अधिकारी SSO Portal पर रजिस्टर हैं लेकिन उनकी आवश्यक सूचना जैसे कि Employee ID (eg. RJJP20101119001235), Aadhaar No, Mobile No., Email ID ठीक नहीं है तो वह स्वयं SSO Portal पर Login करके अपनी सूचना को Update करें।
RAJ-KAJ Application में अधिकारी की Employee Profile created होनी चाहिए।	यदि अधिकारी की Raj-Kaj में Employee profile created नहीं है तो वह RAJ-KAJ Application में Employee Self User Creation के माध्यम से आवश्यक सूचना जैसे:- Employee Name, Father's Name (English & Hindi), Appointing Department, Service Type, Cadre, Designation, Posted Department etc उपलब्ध कर अपनी Profile Create कर सकते हैं।
RAJ-KAJ Application के माध्यम से Immovable Property Return (IPR) भरना।	RAJ-KAJ Portal पर Applications icon क्लिक करने के पश्चात् left menu में Employee Functions → Immovable Property Return सलेक्ट करें।  इसके पश्चात् अधिकारी Property की Details भरकर Save कर सकते हैं। अधिकारी Add बटन के द्वारा अपनी शेष Property की Details भर सकते हैं।  View IPR बटन को click कर अधिकारी अपने द्वारा भरी गई समस्त सम्पत्ति का विवरण देख सकते हैं। यदि किसी सम्पत्ति के विवरण में कुछ परिवर्तन करना है तो उस सम्पत्ति को Select कर Update बटन के द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं।

*Chand*

-3-

P-T-0